

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

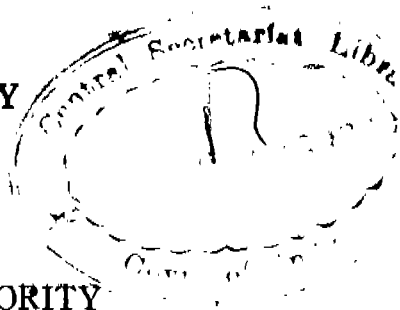
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 183] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 3, 1974/श्रावण 12, 1896

No. 183] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 3, 1974/SRAVANA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd August 1974

SUBJECT.—*Method of calculation of the composite rate for recovery of rupee equivalent in respect of payments made, from foreign loans under direct payment procedure.*

No. 109-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the former Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated the 28th January, 1972 regarding arrangements for the deposit of the rupee equivalent of the cost of imports made by importers under direct payments procedure as applicable for foreign credits consequent upon the fluctuations of currencies with effect from the 23rd August, 1971.

2 In terms of para 3 of the aforesaid Public Notice, the rupee equivalent should be calculated upto 4 decimal places and the resultant figure should be rounded off to the next higher paisa in the 2nd decimal place. In view of the small value of the units of Japanese Yen and Italian Lira currencies, certain anomalies have arisen out of rounding off at the 2nd decimal place to the next higher in the case of these currencies. It has, therefore, been decided that in partial modification of the provisions contained in the former Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January 1972, the composite rate in the case of Japanese Yen and Italian Lira should be calculated upto 4

decimal places in the same manner as indicated in para 3 of the aforesaid Public Notice but the rounding off should be done at the 3rd decimal place to the next higher paisa. This method of calculation of the composite rate will be applicable only in respect of Japanese. You and Italian Lira and not for other currencies

3. This will have effect from the date of issue of this Public Notice.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1974

विषय.—प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि के अधीन विदेशी ऋणों से किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में तुल्य रुपये की वसूली के लिए मिश्रित दर की संगणना का तरीका।

सं० 103-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74.—23 अगस्त, 1971 से मुद्राओं के बढाव-बढाव के परिणामस्वरूप विदेशी ऋणों के लिए लागू प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि के अधीन आयातकों द्वारा किए गए आयातों की लागत के बराबर रुपये को जमा करने के लिए व्यवस्थाओं में सम्बन्धित भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 15-आई०टी० सी० (पी० एन०)/72 दिनांक 28 जनवरी, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 के अनुसार तुल्य रुपया दशमलव के 4 स्थानों तक गिना जाना चाहिए और जो आंकड़े आएँ उन को दशमलव के द्वितीय स्थान में अगले अधिक पैसे तक पूर्ण कर लेना चाहिए। जापानी येन और इटली की लीरा मुद्राओं की इकाईयों के न्यून मूल्य के विचार से इन मुद्राओं के मामले में दशमलव के द्वितीय स्थान पर अगली अधिक इकाई को पूर्ण करने में असंगति का प्रश्न उठा है। इसलिए निश्चय किया गया कि भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 15 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28-1-72 में आंशिक आशोधन करते हुए जापानी येन और इटली की लीरा के मामले में मिश्रित दर उसी तरीके से दशमलव के 4 स्थानों तक गिनी जानी चाहिए जो पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में निर्दिष्ट किया गया है परन्तु दशमलव के तृतीय स्थान पर अगले अधिक पैसे तक पूर्ण करना चाहिए। मिश्रित दर की संगणना करने का यह तरीका केवल जापानी येन और इटली की लीरा के सम्बन्ध में लागू होगा अन्य मुद्राओं के लिए नहीं।

3. यह हम सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगा।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।